[Shri S. C. Jamir]

(2) A copy of the Annual Report on the working of the Employees'. Provident Funds Scheme, 1952 for the year 1966-67. [*Placed in Library. See* No. LT—243/68]

(3) A copy of the Main Conclusions of the Twenty-seventh Session of the Standing Labour Committee held at New Delhi on the 30th September, 1967. [*Placed in Library. See No.* LT-244/68].

12.32 hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

FIFTEENTH AND SIXTEENTH REPORTS

SHRI M. R. MASANI (Rajkot): I beg to present the following Reports of the Public Accounts Committee :—

(1) Fifteenth Report on Appropriation Accounts (Defence Services), 1965-66 and Audit Report (Defence Services), 1967.

(2) Sixteenth Report on Appropriation Accounts (Defence Services), 1965-66, and Audit Report (Defence Services), 1967 —Defence Production.

12.32½ hrs.

STATEMENT ON COMMONWEALTH IMMIGRANTS BILL OF THE UNITED KINGDOM

MR. SPEAKER : Shri Bhagat.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर ऐतराज है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमने इसके बारे में ध्यान आकर्षण सूचनायें दी थीं लेकिन आपने उन्हें स्वीकार नहीं किया । अब हम प्रश्न नहीं पूछ सकते । हमें शिकायत है कि भारत सरकार को इस मामले में जो कुछ करना चाहिये वह नहीं कर रही है । या तो आप इस पर पृथक चर्चा का मौका दें ।

MR. SPEAKER : Let him study the statement. I will also go through it more carefully.

श्री मधु लिमये : व्यवस्था के बारे में आप मेरी बात सुन लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान नियम 372 की ओर दिलाना चाहता हूं :

"A statement may be made by a Minister on a matter of public importance with the consent of the Speaker, but no question shall be asked at the time the statement is made".

तीसरी लोक सभा में इस नियम के बावजूद यहां पर यह परम्परा थी कि स्पष्टीकरण के तौर पर प्रश्न पूछे जाते थे । लेकिन उस के बाद समय बचाने के लिये आपने यहां पर यह प्रणाली कायम की कि जब मंत्रियों के वक्तव्य होंगे तो उस पर सवाल नहीं पूछे जायेंगे, लेकिन अगर मामला गंभीर हो तो आप या तो आधे घंटे की या एक घंटे की बहस की, जो नई प्रक्रिया है नियम 193 के तहत, उसके मुताबिक उसकी इजाजत देंगे और देते रहे हैं । साथ साथ जो हमारी ध्यान दिलाने की प्रक्रिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है । आज भी कोई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं लाया गया, कल भी नहीं लाया गया था । कई कई दिन ऐसे ही जा रहे हैं । पहले यहां ऐसा इंतजाम था कि कभी कभी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में दस-दस और पन्द्रह पन्द्रह नाम होते थे और सब को प्रश्न पूछने का मौका दिया जाता था । आपने कहा कि इस तरह से काम नहीं चल पायेगा । इस लिये हमने अपने अधिकारों पर रोक लगाई कि एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में पांच से अधिक नाम नहीं होंगे । अगर एकसे अधिक हस्ताक्षर होंगे तो एक की ही नोटिस मानी जायेगी । चाहे जितना महत्वपूर्ण सवाल हो, एक व्यक्ति एक से अधिक ध्यान दिलाने का मामला नहीं उठायेगा । आप देखिये कि हम ने अपने अधिकारों पर कितनी रोक लगाई है । नियम 372